

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

भोपाल सिंह पिता शम्भुरिंह राजपूत नि. हरसलो का खेडा

बनाम

भवानसिंह पिता फतेहसिंह राजपूत नि. हरसलो का खेडा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1128/2021

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुई |
|------------|--|---|
| 23.11.21   | <p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम हरसलो का खेडा प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 61, 79, 135, 136, 137, 138, 157, 158, 159, 160, 186, 199, 200, 201, 205, 206 कुल कित्ता 16 रकबा 58.11 बीघा स्थित है। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनके विधिक वारिसान प्रार्थी है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। सीमा चिन्हों को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है। आये दिन खेत के अपनी कृषि आराजियात की रथाई सीमा चिन्हों की जानकारी नही होने के कारण आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम हरसलो का खेडा प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 61, 79, 135, 136, 137, 138, 157, 158, 159, 160, 186, 199, 200, 201, 205, 206 कुल कित्ता 16 रकबा 58.11 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मोके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |   |

*tu*  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)